| आदेश | कार्यवाही विवरण | अनुपालना के क्रमांक व दिनांक |
| --- | --- | --- |
| 11/10/19 | तहसीलदार नवलगढ़ से पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। वकील आवेदक व राज्य पैरोकार उप०। निर्णय की पालना नामा० संख्या 2420 द्वारा तस्दीक होने से पत्रावली में अब कोई ~~के~~ कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली कैफियत शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील आज्ञा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.10.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।<br>M. L. Sharma<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नवलगढ़ | |

Scanned by CamScanner

निवासीगण ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू(राज0)

...दास जाति स्वामी निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला

...न जाति जाट निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

...मदेवसिंह जाति जाट निवासीगण ग्राम बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

... ओबीसी बैंक शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ।

...क कम तहसीलदार, नवलगढ तहसील नवलगढ

—प्रतिवादीगण

...ार्थ व दिनांक 24.02.2016 के विकय—पत्र वादी के अधिकारो के विरूद्ध नल एण्ड वोइड घोषित करवाने बाबत, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन

## निर्णय

निर्णय तिथि 13.06.2018

वाद वादी दिनांक 18.10.2017 को प्राथमिक को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मौका कमिशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2016/95 दिनांक 11.05.2018 प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिकी करने में सहमति जाहिर की गई। अतः वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित होने से वाद स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम बसावा की भूमि खसरा नम्बर ... रकबा 0.30 है0 तथा भूमि खसरा नम्बर 925 रकबा 0.87 है0 किता 2 कुल रकबा 1.17है0 का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैः—

1. भूमि ख.न. 917/0.13, 925/0.87 है0 किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 का पप्पूराम सुरेश पिता पूर्णमल ललित नरोतम पुत्र गोरूराम जाति मेहतर निवासी बसावा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. भूमि ख.न. 894/7.17, 896/2.86, 897/2.55, 900/0.01, 901/0.18, 902/0.05, 917/1/0.17, किता 7 कुल रकबा 12.99है0 का रामोतार चेला लिछमणदास जाति स्वामी हि0 12.12 है0 राहिन ओबीसी बैंक शाखा नवलगढ मूर्तहीन अमितकुमार पुत्र घनश्याम हि0 0.46है0 महेश कुमार पुत्र रामदेवसिंह दूत हि0 0.2050 है0 दयाराम पुत्र रामदेवसिह हि0 0.2050 है0 जाति जाट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मजमे शिविर सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

Scanned by CamScanner